



दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश: 243

दिनांक:- 28/02/2020

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रु. के पे बैंड में 4800/- रु. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:

क्रम सं. / वरियता सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/1444	श्रीमती मीनू चावला धर्मपत्नी श्री ए.के. चावला	उत्तरी खंड-2
2/1669	विनोद कुमार सिधु सुपुत्र श्री राजपाल सिंह	वाणिज्य भूमि
3/1670	सुनील कुमार सुपुत्र श्री सहदेव	रोहिणी परियोजना खंड-10
4/1671	श्रीमती नीता भल्ला धर्मपत्नी श्री एन.के. भल्ला	अराजपत्रित-III
5/1673	श्रीमती विजय लक्ष्मी धर्मपत्नी श्री योगेश कुमार	निदेशक योजना
6/1681	खेम सिंह सुपुत्र श्री दान सिंह	सिविल परिमंडल-14
7/1685	श्रीमती नंदिता बोरा धर्मपत्नी श्री इन्द्र कान्त बोरा	सिविल परिमंडल-1
8/1690	श्रीमती मीना कुमारी गिल धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार	प्राप्ति एवं प्रेषण मुख्य
9/1692	चन्द्र पाल सिंह सुपुत्र श्री विजय पाल सिंह	आवास समूह
10/1693	बलबीर सिंह सुपुत्र श्री रघुबीर सिंह	उत्तरी खंड-8
11/1696	सत्य प्रकाश सुपुत्र श्री पृथ्वी सिंह	सी.ए.यू. (रोहिणी)
12/1697	मुकेश कुमार गोयल सुपुत्र स्व. श्री डी.एल. गोयल	भूमि प्लानिंग कक्ष
13/1709	लक्ष्मी नारायण अरोड़ा सुपुत्र श्री जी.बी. अरोड़ा	दक्षिणी पूर्वी खंड-11
14/1719-ए	अशोक कुमार सुपुत्र श्री बलबीर सिंह	पट्टा प्रशासन शाखा (रिहायशी)
15/1721	प्रहलाद सिंह बगोरम सुपुत्र श्री सिब्बा राम	विद्युत् खंड-12
16/1723	बीर सिंह सुपुत्र श्री जोधा सिंह	लेखाधिकारी (रोहिणी)

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रु. के वेतनमान में 4800/- रु. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) (जो कि सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 है) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उनकी तैनाती / स्थानांतरण को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:-

क्रम सं. / वरियता सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	स्थान से	स्थान को
1/1444	श्रीमती मीनू चावला धर्मपत्नी श्री ए.के. चावला	पदोन्नति पर	पेंशन कक्ष
2/1669	विनोद कुमार सिधु सुपुत्र श्री राजपाल सिंह	पदोन्नति पर	वाणिज्य भूमि / भूमि निपटान (कार्यकाल पूरा होने तक)



: 2 :

3/1670	सुनील कुमार सुपुत्र श्री सहदेव	पदोन्नति पर	उप निदेशक (योजना) द्वारका
4/1671	श्रीमती नीता भल्ला धर्मपत्नी श्री एन.के. भल्ला	पदोन्नति पर	परियोजना (सिविल परिमंडल-1) [परियोजना प्रबंधक फ्लाइओवर]
5/1673	श्रीमती विजय लक्ष्मी धर्मपत्नी श्री योगेश कुमार	पदोन्नति पर	पूर्वी सिविल परिमंडल-1 (सिविल परिमंडल-10)
6/1681	खेम सिंह सुपुत्र श्री दान सिंह	पदोन्नति पर	सतर्कता
7/1685	श्रीमती नंदिता बोरा धर्मपत्नी श्री इन्द्र कान्त बोरा	पदोन्नति पर	अधीक्षण अभियंता (मुख्यालय) दक्षिणी क्षेत्र
8/1690	श्रीमती मीना कुमारी गिल धर्मपत्नी श्री अनिल कुमार	पदोन्नति पर	क्षतिपूर्ति
9/1692	चन्द्र पाल सिंह सुपुत्र श्री विजय पाल सिंह	पदोन्नति पर	सतर्कता
10/1693	बलबीर सिंह सुपुत्र श्री रघुबीर सिंह	पदोन्नति पर	निदेशक खेल
11/1696	सत्य प्रकाश सुपुत्र श्री पृथ्वी सिंह	पदोन्नति पर	अनधिकृत कॉलोनी कक्ष
12/1697	मुकेश कुमार गोयल सुपुत्र स्व. श्री डी.एल. गोयल	पदोन्नति पर	निदेशक भूमि पूलिंग
13/1709	लक्ष्मी नारायण अरोड़ा सुपुत्र श्री जी.बी. अरोड़ा	पदोन्नति पर	अनधिकृत कॉलोनी कक्ष
14/1719-ए	अशोक कुमार सुपुत्र श्री बलबीर सिंह	पदोन्नति पर	सतर्कता
15/1721	प्रहलाद सिंह बगोरम सुपुत्र श्री सिब्बा राम	पदोन्नति पर	विद्युत् खंड-12 (सेवानिवृत्त होने तक)
16/1723	बीर सिंह सुपुत्र श्री जोधा सिंह	पदोन्नति पर	आयुक्त एवं सचिव

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।

Ruman
28/02/2020

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

दिनांक:- 28/2/2020

सं.एफ.10(13)2020/सी.सी./ 191

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।
2. प्रधान आयुक्त, (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
3. आयुक्त (कार्मिक) / भूमि निपटान, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव।
4. आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ।



: 3 :

5. अधीक्षण अभियंता, सिविल परिमंडल-1 एवं 14 / पूर्वी सिविल परिमंडल-1 / विद्युत् खंड-12 / (मुख्यालय) दक्षिणी क्षेत्र, दि.वि.प्रा. ।
6. परियोजना प्रबंधक (फ्लाइओवर), दि.वि.प्रा. ।
7. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2/ सतर्कता 1 एवं 2 / योजना / खेल / भूमि पूलिंग / प्रणाली, दि.वि.प्रा. ।
8. अधिशाषी अभियंता, पूर्वी खंड-3 / उत्तरी खंड - 2 एवं 8 / दक्षिणी पूर्वी खंड-11, रोहिणी परियोजना खंड-10, दि.वि.प्रा. ।
9. उप निदेशक (कार्मिक)- 1, 3 / सतर्कता(प्रशा.) / वाणिज्य भूमि / योजना / (योजना) द्वारका / नज़ारत / समूह आवास / पट्टा प्रशासन शाखा (रिहायशी) / भूमि पूलिंग कक्ष / क्षतिपूर्ति / अनधिकृत कॉलोनी कक्ष / आरक्षण कक्ष / संसद एवं समन्वय, दि.वि.प्रा।
10. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions 2020)
11. लेखाधिकारी (संस्था), राजपत्रित / अराजपत्रित-III / पेंशन कक्ष / योजना / रोहिणी / सम्बंधित (सी.ए.यू.), दि.वि.प्रा. ।
12. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1, एवं 3 / पी.एम.आई.एस./ (गोपनीय कक्ष)-2, दि.वि.प्रा. ।
13. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
14. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

(हरीश शर्मा)
सहायक निदेशक